



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102025-266769
CG-DL-E-08102025-266769

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4428]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947

No. 4428]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4556(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद/अयोध्या जिले में अयोध्या बाईपास (उत्तरी अयोध्या बाईपास, रा.रा. 27 के किमी. 112+540 से आरम्भ होकर, किमी. 139+928 तक और दक्षिणी अयोध्या बाईपास रा.रा. 27 के किमी. 112+540 से आरम्भ होकर किमी. 153+281 तक) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए रा.रा. 27 के कि.मी. 112+540 से कि.मी. 153+281 तक की वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन), अयोध्या को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और

जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के फैज़ाबाद/ अयोध्या जिले में रा.रा. 27 के कि.मी. 112+540 से कि.मी. 153+281 तक में अयोध्या बाईपास के निर्माण हेतु अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: अयोध्या		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सदर					
गांव का नाम: तिहुरा मांझा					
1	1619	निजी	कृषि	80 (वर्ग मीटर)	0.008
2	1633	निजी	कृषि	42 (वर्ग मीटर)	0.0042
3	1634	निजी	कृषि	2472 (वर्ग मीटर)	0.2472
4	1635	निजी	कृषि	1897 (वर्ग मीटर)	0.1897
5	1636	निजी	कृषि	4024 (वर्ग मीटर)	0.4024
6	1637	निजी	कृषि	3136 (वर्ग मीटर)	0.3136
7	1638	निजी	कृषि	257 (वर्ग मीटर)	0.0257
8	1642	निजी	कृषि	925 (वर्ग मीटर)	0.0925
9	1643	निजी	कृषि	2611 (वर्ग मीटर)	0.2611
10	1644	निजी	कृषि	2059 (वर्ग मीटर)	0.2059
11	1645	निजी	कृषि	29 (वर्ग मीटर)	0.0029
12	1711	सामान्य	कृषि / जलमगन भूमि	3146 (वर्ग मीटर)	0.3146
13	2249	निजी	कृषि	785 (वर्ग मीटर)	0.0785
14	2250	निजी	कृषि	2909 (वर्ग मीटर)	0.2909
15	2255	निजी	कृषि	5440 (वर्ग मीटर)	0.544
16	2257	निजी	कृषि	677 (वर्ग मीटर)	0.0677
17	2258	निजी	कृषि	2660 (वर्ग मीटर)	0.266
18	2259	निजी	कृषि	488 (वर्ग मीटर)	0.0488

19	2260	निजी	कृषि	477 (वर्ग मीटर)	0.0477
20	2261	निजी	कृषि	515 (वर्ग मीटर)	0.0515
21	2262	निजी	कृषि	2338 (वर्ग मीटर)	0.2338
22	2265	सरकारी	जलमगन भूमी	1713 (वर्ग मीटर)	0.1713
23	2272	निजी	कृषि	2127 (वर्ग मीटर)	0.2127
24	2273	निजी	कृषि	3231 (वर्ग मीटर)	0.3231
25	2275	निजी	कृषि	2304 (वर्ग मीटर)	0.2304
26	2276	निजी	कृषि	865 (वर्ग मीटर)	0.0865
27	2277	निजी	कृषि	195 (वर्ग मीटर)	0.0195
28	2278	निजी	कृषि	901 (वर्ग मीटर)	0.0901
29	2279	निजी	कृषि	199 (वर्ग मीटर)	0.0199
30	2280	निजी	कृषि	2530 (वर्ग मीटर)	0.253
31	2291	निजी	कृषि	69 (वर्ग मीटर)	0.0069
32	2292	निजी	कृषि	630 (वर्ग मीटर)	0.063
33	2293	निजी	कृषि	760 (वर्ग मीटर)	0.076
34	2295	निजी	कृषि	1873 (वर्ग मीटर)	0.1873
35	2296	निजी	कृषि	1612 (वर्ग मीटर)	0.1612
36	2298	निजी	कृषि	3849 (वर्ग मीटर)	0.3849
37	2307	सरकारी	जलमगन भूमी	510 (वर्ग मीटर)	0.051
38	2316	निजी	कृषि	681 (वर्ग मीटर)	0.0681
39	2317	निजी	कृषि	1865 (वर्ग मीटर)	0.1865
40	2318	निजी	कृषि	1302 (वर्ग मीटर)	0.1302
41	2319	निजी	कृषि	1265 (वर्ग मीटर)	0.1265
42	2320	निजी	कृषि	1160 (वर्ग मीटर)	0.116
43	2321	निजी	कृषि	1328 (वर्ग मीटर)	0.1328
Total					6.7936

[फा. सं. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/2017/PIU-Raebareilly/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2025

S.O. 4556(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for

the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Ayodhya Bypass (Northern Ayodhya Bypass starting at Km 112+540 and ending at Km 139+928 of NH-27 and Southern Ayodhya Bypass starting at Km 112+540 and ending at Km 153+281 of NH-27) in the stretch of land from Km 112+540 to Km 153+281 of NH-27 (in District Ayodhya/Faizabad) in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer (Joint Organization), Ayodhya in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Within the stretch of land from Km 112+540 to Km 153+281 of NH-27 (in District Ayodhya/Faizabad) in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: Ayodhya		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sadar					
Village: Tihura Manjha					
1	1619	Private	Agriculture	80 (Square Meter)	0.008
2	1633	Private	Agriculture	42 (Square Meter)	0.0042
3	1634	Private	Agriculture	2472 (Square Meter)	0.2472
4	1635	Private	Agriculture	1897 (Square Meter)	0.1897
5	1636	Private	Agriculture	4024 (Square Meter)	0.4024
6	1637	Private	Agriculture	3136 (Square Meter)	0.3136
7	1638	Private	Agriculture	257 (Square Meter)	0.0257
8	1642	Private	Agriculture	925 (Square Meter)	0.0925
9	1643	Private	Agriculture	2611 (Square Meter)	0.2611
10	1644	Private	Agriculture	2059 (Square Meter)	0.2059
11	1645	Private	Agriculture	29 (Square Meter)	0.0029
12	1711	Common	Agriculture / Jalmagan Bhoomi	3146 (Square Meter)	0.3146
13	2249	Private	Agriculture	785 (Square Meter)	0.0785
14	2250	Private	Agriculture	2909 (Square Meter)	0.2909
15	2255	Private	Agriculture	5440 (Square Meter)	0.544
16	2257	Private	Agriculture	677 (Square Meter)	0.0677

17	2258	Private	Agriculture	2660 (Square Meter)	0.266
18	2259	Private	Agriculture	488 (Square Meter)	0.0488
19	2260	Private	Agriculture	477 (Square Meter)	0.0477
20	2261	Private	Agriculture	515 (Square Meter)	0.0515
21	2262	Private	Agriculture	2338 (Square Meter)	0.2338
22	2265	Government	Jalmagan Bhoomi	1713 (Square Meter)	0.1713
23	2272	Private	Agriculture	2127 (Square Meter)	0.2127
24	2273	Private	Agriculture	3231 (Square Meter)	0.3231
25	2275	Private	Agriculture	2304 (Square Meter)	0.2304
26	2276	Private	Agriculture	865 (Square Meter)	0.0865
27	2277	Private	Agriculture	195 (Square Meter)	0.0195
28	2278	Private	Agriculture	901 (Square Meter)	0.0901
29	2279	Private	Agriculture	199 (Square Meter)	0.0199
30	2280	Private	Agriculture	2530 (Square Meter)	0.253
31	2291	Private	Agriculture	69 (Square Meter)	0.0069
32	2292	Private	Agriculture	630 (Square Meter)	0.063
33	2293	Private	Agriculture	760 (Square Meter)	0.076
34	2295	Private	Agriculture	1873 (Square Meter)	0.1873
35	2296	Private	Agriculture	1612 (Square Meter)	0.1612
36	2298	Private	Agriculture	3849 (Square Meter)	0.3849
37	2307	Government	Jalmagan Bhoomi	510 (Square Meter)	0.051
38	2316	Private	Agriculture	681 (Square Meter)	0.0681
39	2317	Private	Agriculture	1865 (Square Meter)	0.1865
40	2318	Private	Agriculture	1302 (Square Meter)	0.1302
41	2319	Private	Agriculture	1265 (Square Meter)	0.1265
42	2320	Private	Agriculture	1160 (Square Meter)	0.116
43	2321	Private	Agriculture	1328 (Square Meter)	0.1328
Total					6.7936

[F. No. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/2017/PIU-Raebareilly/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director